

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 4082/2015 (2015/00256)

1. चन्द्रा पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामदेव
2. श्रवण पुत्र रामदेव
3. सुखदेव पुत्र रामदेव

समस्त जाति रेगर निवासीगण मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

4. श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम
आदेश

दिनांक 06/04/23

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम में वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम मेवदाकलां तहसील केकड़ी की जमाबंदी के खाता संख्या नया पुराना 437-193 के खसरा नम्बर 500, 501, 502, 512, 513, 514, 777, 785, 786, 1093, 1094, 1283, 1284, 1292 कुल किता 14 कुल रकबा 4.88 हैक्ट. का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 23.05.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकड़ी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	चन्द्रा पुत्र नारायण जाति रेग सा.देह खातेदार	500/1	0.02	बा.1
		502	0.58	बा.1
		512/1	0.2350	बा.1
		513	0.55	बा.1
		785	0.40	बा.1
		1094	0.10	नहरी 2
		1292	0.40	चाही 2 जाव 2
		786/2	0.08	गै.मु.नाला
		786/4	0.0650	गै.मु.नाला
	किता 9	रकबा 2.4300 है0		
2	प्रहलाद, श्रवण, सुखदेव, पिता रामदेव सा.देह. खातेदार हिस्सा बराबर, राहिन बीओबी शाखा केकड़ी श्रवण व सुखदेव का हिस्सा	500/2	0.02	बा.1
		501	0.65	बा.1
		512/2	0.2350	बा.1
		514	0.56	बा.1
		777	0.28	बा.1
		1093	0.14	नहरी 2
		1284	0.39	चाही 2 जाव 2
		786/1	0.05	गै.मु.नाला
		786/3	0.1050	गै.मु.नाला
			किता 9	रकबा 2.4300 है0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजारव वाद 4082 / 2015 (2015 / 00256)

1. चन्द्रा पुत्र नारायण जाति रेगार निवासी भेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---वादी

वनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामदेव
2. श्रवण पुत्र रामदेव
3. सुखदेव पुत्र रामदेव
4. श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर

---प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम
आदेश**

दिनांक 06/04/23

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम में वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम भेवदाकलां तहसील केकड़ी की जमाबंदी के खाता संख्या नया पुराना 437-193 के खसरा नम्बर 500, 501, 502, 512, 513, 514, 777, 785, 786, 1093, 1094, 1283, 1284, 1292 कुल किता 14 कुल रकबा 4.88 हैक्ट. का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 23.05.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकड़ी को मौका कनिश्चर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकड़ी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-


क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	चन्द्रा पुत्र नारायण जाति रेग सा.देह खातेदार	500 / 1	0.02	बा.1
		502	0.58	बा.1
		512 / 1	0.2350	बा.1
		513	0.55	बा.1
		785	0.40	बा.1
		1094	0.10	नहरी 2
		1292	0.40	चाही 2 जाव 2
		786 / 2	0.08	गै.मु.नाला
		786 / 4	0.0650	गै.मु.नाला
			किता 9	रकबा 2.4300 है0
2	प्रहलाद, श्रवण, सुखदेव, पिता रामदेव सा.देह. खातेदार हिस्सा वरावर, राहिन वीओवी शाखा केकड़ी श्रवण व सुखदेव का हिस्सा	500 / 2	0.02	बा.1
		501	0.65	बा.1
		512 / 2	0.2350	बा.1
		514	0.56	बा.1
		777	0.28	बा.1
		1093	0.14	नहरी 2
		1284	0.39	चाही 2 जाव 2
786 / 1	0.05	गै.मु.नाला		
	786 / 3	0.1050	गै.मु.नाला	
	किता 9	रकबा 2.4300 है0		

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग-अलग रंग से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारान गोर्धन पुत्र चन्द्रा रेगर, श्रवण पुत्र रामदेव रेगर, सुखदेव पुत्र रामदेव रेगर, चन्द्रा पुत्र नारायण रेगर ने गोकें पर बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझकर हस्ताक्षर किये है। प्रतिवादी प्रहलाद पुत्र रामदेव रेगर बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रहलाद के पुत्र मौके पर उपस्थित रहे परन्तु हस्ताक्षर करने से मना किया है। वकील पक्षकारान को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। अतः तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादवर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	चन्द्रा पुत्र नारायण जाति रेग सा.देह खातेदार	500 / 1 502 512 / 1 513 785 1094 1292 786 / 2 786 / 4	0.02 0.58 0.2350 0.55 0.40 0.10 0.40 0.08 0.0650	वा.1 वा.1 वा.1 वा.1 वा.1 नहरी 2 चाही 2 जाव 2 गै.मु.नाला गै.मु.नाला
		किता 9	रकबा 2.4300 है0	
2	प्रहलाद, श्रवण, सुखदेव, पिता रामदेव सा.देह. खातेदार हिस्सा बराबर, राहिन बीओबी शाखा केकडी श्रवण व सुखदेव का हिस्सा	500 / 2 501 512 / 2 514 777 1093 1284 786 / 1 786 / 3	0.02 0.65 0.2350 0.56 0.28 0.14 0.39 0.05 0.1050	वा.1 वा.1 वा.1 वा.1 वा.1 नहरी 2 चाही 2 जाव 2 गै.मु.नाला गै.मु.नाला
		किता 9	रकबा 2.4300 है0	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिक्केन अपना -अपना वहन करे।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विक्रम पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी,

मूल वाद में अतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. चन्द्रा पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी मेवदाकलां तहसील केकडी जिला अजमेर
---वादी

वनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामदेव
2. श्रवण पुत्र रामदेव
3. सुखदेव पुत्र रामदेव
4. श्रीमान तहसीलदार केकडी, तहसील कार्यालय केकडी जिला अजमेर

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 4082 / 2015 (2015 / 00256)

निर्णय दिनांक:- 06.04.2023

यह मुकदमा आज वारसे इन्फिन्साल कलई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी वहाजिरी श्री मदनगोपाल चौधरी, श्री मीटू सिंह राठौड वादी अधिवक्ता, श्री सांवरलाल चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण, पेशेकार सरकार जयें तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाकें ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी की जमावंदी के खाता संख्या नया पुराना 437-193 के खसरा नम्बर 500, 501, 502, 512, 513, 514, 777, 785, 786, 1093, 1094, 1283, 1284, 1292 कुल किला 14 कुल रकवा 4.88 हैक्ट. में निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 23.05.2022 की पालना में तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत वंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादवर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार वंटवारा किया गया-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकवा	किरसम
1	चन्द्रा पुत्र नारायण जाति रेग सा.देह खातेदार	500 / 1	0.02	वा.1
		502	0.58.	वा.1
		512 / 1	0.2350	वा.1
		513	0.55	वा.1
		785	0.40	वा.1
		1094	0.10	नहरी 2
		1292	0.40	वाही 2 जाव 2
		786 / 2	0.08	गै.मु.नाला
		786 / 4	0.0650	गै.मु.नाला
		किला 9	रकवा 2.4300 है0	

2	प्रह्लाद, श्रवण, सुखदेव, पिता रामदेव सा.देह. खातेदार हिस्सा बराबर, राहिन बीओबी शाखा केकडी श्रवण व सुखदेव का हिस्सा	500/2 501 512/2 514 777 1093 1284 786/1 786/3	0.02 0.65 0.2350 0.56 0.28 0.14 0.39 0.05 0.1050	वा.1 वा.1 वा.1 वा.1 वा.2 नहरी 2 वाही 2 जाव 2 नै.मु.नाला नै.मु.नाला
		किता 9	रकबा 2.4300 है0	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजरव रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पर्व जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

बीज मुबलिक..... बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख
वसूलयाबी तक..... को अदा करे

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

मुददई	रुपया	पैसा	मुदयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जा दावा	0	0	स्टाम्प अर्जा दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	स्टाम्प वजह सबूत
महनताना वकील	महनताना वकील
खर्चा गवाहान.	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर.	फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा
मुताफरिक	मुताफरिक
	मीजान	0		मीजान	0

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।